राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः NHM/RCH/JSY/DBT/2015/297 दिनांकः 17-12-2015

प्राचार्य, समस्त मेडिकल कॉलेज अस्पताल
संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले

विषयः— ओजस सॉफ्टवेयर में बैंक रिजेक्टेड केसेज के भुगतान की प्रविष्टि बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार माह अगस्त 2015 से प्रदेश में **जननी सुरक्षा योजना एवं शुभलक्ष्मी योजना की प्रथम किश्त** को ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेज एवं संबंधित अस्पताल, जिला/उपजिला/सैटेलाइट अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हो रहे संस्थागत प्रसव उपरान्त लाभार्थी को परिलाभ सीधे ही बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत पूर्व में जारी परिपत्र NHM/RCH/JSY/DBT/2015/158 दिनांक 21.07.2015 के द्वारा आपको निर्देशित किया जा चुका है कि परिस्थितिजन्य बैंक से रिजेक्टेड केसेज जिनका ऑनलाईन भुगतान नही हुआ है को संबंधित संस्थान द्वारा चैक से भुगतान किया जाना है। साथ ही आपके स्तर पर चैक द्वारा किये गये भुगतान का पूर्ण विवरण सॉफ्टवेयर पर इन्द्राज करना है।

विगत चार माह से अधिक अवधि के ओजस सॉफ्टवेयर में इन्द्राज भुगतान विवरण की समीक्षा करने पर पाया गया है कि सभी जिलो में संबंधित संस्थानों द्वारा बैंक रिजेक्टेड केसेज को चैक द्वारा किये गये भुगतान की सूचना सॉफ्टवेयर पर इन्द्राज नही करवाई है अथवा बैंक रिजेक्टेड केसेज एवं चैक द्वारा दिये गये भुगतान के अन्तर को देखने पर प्रतीत होता है कि उक्त केसेज में भुगतान दिया जाना शेष है।

अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि ओजस सॉफ्टवेयर में बैंक रिजेक्ट केसेज को नियमानुसार अविलम्ब चैक द्वारा भुगतान दिया जाना सुनिश्चित करावे व साथ ही चैक द्वारा दिये गये भुगतान का विवरण सॉफ्टवेयर में इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करावे। संस्थान प्रभारी यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान ना होने पाये।

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. परियोजना निदेशक— एमएच।
3. डेमोग्राफर एवं मूल्यांकन अधिकारी, मुख्यालय।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जिला/उपजिला/सैटेलाइट अस्पताल, समस्त जिले।

Email:- pdmhrch@gmail.com

5. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिले।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्त जिले।
8. सर्वर रूम।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर